नीट पेपर लीक होने के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन

विशेष संवाददाता

भोपाल, 12 मई. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) रद्द होने और कथित पेपर लीक के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने मंगलवार को भोपाल में प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के अध्यक्ष प्रदीप जोशी के पुतले दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन का नेतृत्व मध्यप्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राएं और नीट अभ्यर्थी शामिल हुए.

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि देशभर में हर वर्ष लगभग 30 लाख विद्यार्थी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन लगातार पेपर लीक और परीक्षा निरस्तीकरण की घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ रहा है. छात्रों ने कहा कि बार-बार होने वाले पेपर लीक से मेधावी अभ्यर्थियों का मनोबल टूट रहा है और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

सभा को संबोधित करते हुए रवि परमार ने कहा कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी नीट परीक्षा पेपर लीक के आरोपों से घिर गई है, जिससे लाखों विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक समिति गठित करने की मांग की.

एनएसयूआई भोपाल जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने आरोप लगाया कि 'शिक्षा माफिया' धनाढ्य अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार पेपर लीक करवा रहा है. उन्होंने कहा कि परीक्षा निरस्त होने से विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है, जो पूरे वर्ष मेहनत करते हैं. प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष लकी चौबे, अमित हटिया, अनिमेष गोंडली, एनएसयूआई कार्यकर्ता, कोचिंग छात्र और पुलिसकर्मी मौजूद रहे.

परीक्षा रद्द करना महत्वपूर्ण निर्णय : अभाविप

भोपाल, 12 मई. नीट-यूजी 2026 परीक्षा में सामने आए कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के बाद सरकार ने परीक्षी को रद्द कर दिया है. इसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थियों के हित में बताया है. अभाविप के अनुसार प्रकरण की जांच, केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई को सौंपना एक उचित एवं आवश्यक कदम है. जहां एक तरफ परिषद ने शुरू से ही इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच का मुद्दा उठाया है. वहीं सीबीआई जांच के दौरान जो भी साक्ष्य, नेटवर्क और दोषी व्यक्तियों की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए. ताकि वर्षों से राष्ट्रीय परीक्षाओं में सक्रिय शिक्षा-माफिया और भ्रष्ट तंत्र का पूर्ण रूप से भंडाफोड़ हो सके. अभाविप ने मांग की है कि देश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और सभी दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए. अभाविप का कहना है कि वर्षभर कठिन मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ बार-बार इस प्रकार की घटनाएं होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं विश्वासघातपूर्ण है. ऐसे में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए एनटीए के महानिदेशक को तत्काल अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए.

मध्यप्रदेश के 6 जिलों में लू का अलर्ट

कई हिस्सों में तेज हवाओं की संभावना

भोपाल, 12 मई. मध्यप्रदेश में आंधी और बारिश का दौर थमते ही भीषण गर्मी ने तेजी से वापसी कर ली है. पिछले कई दिनों तक मौसम में नरमी के बाद अब प्रदेश के अधिकांश हिस्से तेज धूप और गर्म हवाओं की चपेट में हैं.

रतलाम में तापमान 45 डिग्री को भी पार कर गया है. मंगलवार दूसरे दिन भी 45.6 डिग्री दर्ज किया गया जिससे जनजीवन प्रभावित रहा. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, रतलाम और झाबुआ जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है. मौसम केंद्र के अनुसार अगले चार दिनों तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में गर्म हवाओं का असर बना रहेगा. इन क्षेत्रों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. खासतौर पर रतलाम, मंदसौर और नीमच जिलों में भीषण गर्मी लोगों को ज्यादा परेशान करेगी. राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत करीब 49 जिलों में दिनभर तेज धूप और लू जैसे हालात बने रहने की संभावना जताई गई है.

रतलाम में 45 डिग्री, शाजापुर में 44.2 डिग्री, धार में 44 डिग्री और इंदौर में 43.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. वहीं उज्जैन में 43 डिग्री, खरगोन में 42.6 डिग्री और भोपाल में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ लाइन का असर कमजोर पड़ने के बाद गर्मी ने अचानक रफ्तार पकड़ी है. दिन के साथ रात का तापमान भी बढ़ रहा है. कई शहरों में न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है.

इंदौर में पारा पहुंचा 43 .6 डिग्री, सीजन का रिकॉर्ड तोड़ा

इंदौर शहर में आज तापमान ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड दिए है। आज पारा 43 .6 डिग्री पर पहुंच गया, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा रहा। इतना ही नही शाम 6 बजे पारा 42 .4 डिग्री दर्ज हुआ जो शाम के सामान्य तापमान से 5 डिग्री ज्यादा रहा। कल रात में पारा सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 25 .6 दर्ज किया गया. मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि करीब आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होती रहेगी. अगले सोमवार यानी एक हफ्ता बाद तापमान कम होगा, लेकिन 40 डिग्री से उपर बना रहेगा. आज लगातार दूसरे दिन पारा 43 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया और इस साल गर्मी के मौसम का यह तीसरा दिन है जब शहर का तापमान 43 डिग्री को पार कर गया. शहर में गर्मी बढ़ने का कारण राजस्थान से आ रही उत्तर पश्चिम हवाओं का दबाव है. आज गर्म हवाओं के कारण पूरी तरह से लू की लपटे महसूस की गई. मौसम विभाग ने भी इंदौर सहित रतलाम, झाबुआ, आलीराजपुर और में लू चलने के संभावना बताई है.

शामियाने और कूलर के साथ निकली बारात

भीषण गर्मी के बीच इंदौर में एक अनोखी बारात लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई. सयाजी होटल पहुंची इस बारात में लंबा शामियाना लगाया गया था, जिसके दोनों ओर जंबो कूलर लगाए गए थे. कूलरों की ठंडी हवा के बीच बाराती नाचते नजर आए. दूल्हा भी डांस करने से नहीं चूका. राह चलते लोग भी इस अनोखे इंतजाम को देखने के लिए रुकते नजर आए.

डीजल, पेट्रोल के अनावश्यक खर्च से बचें : खण्डेलवाल

भोपाल, 12 मई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अपील मध्यप्रदेश में भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनती जा रही है. मोदी ने लोगों से ईंधन बचाने और अनावश्यक उपयोग को कम करने की अपील की है.

इस बीच मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने भी प्रधानमंत्री की इस अपील का अनुसरण करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि पीएम की ये बात केवल एक अपील की तरह नहीं बल्कि इसे अपनी जिम्मेदारी की तरह हम सबको लेनी चाहिये. खंडेलवाल ने निगम मंडलों के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से, विशेषकर, जो शपथ लेने वाले हैं, से इस संबंध में अनुरोध किया है. उन्होंने नागरिकों से भी सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है. उन्होंने मीडिया से कहा कि वे पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करने का समर्थन करते हैं. निगम अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता इससे जुड़ें और अपनी सहभागिता दें.

ई-रिक्शा से पदभार ग्रहण करने पहुंचे सत्येन्द्र भूषण

▸ पीएम मोदी की सलाह का प्रदेश में भी असर शुरू

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 12 मई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजल-पेट्रोल की खपत कम करने और परिवहन के लिए सार्वजनिक सेवा का ज्यादा उपयोग करने सहित अन्य सलाह दी है और इसका असर इस राज्य में भी दिखने लगा है.

मंगलवार को सत्येंद्र भूषण सिंह मप्र लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करने के लिए ई-रिक्शा से न्यू मार्केट स्थित निगम के कार्यालय पहुंचे. मंगलवार को पदभार ग्रहण किया. पहले तो वे अवधपुरी स्थित आवास से प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे. हांलाकि उनके साथ समर्थकों का हुजूम भी था, जो कि दो पहिया वाहन और कारों में सवार थे. शपथग्रहण के दौरान सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी और विधायक भोपाल दक्षिण पश्चिम भगवान दास सबनानी सहित पार्टी पदाधिकारी, संगठन के कार्यकर्ता तथा आयुक्त एमएसएमई दिलीप कुमार उपस्थित थे. अध्यक्ष सिंह ने इस दौरान कहा कि मप्र लघु उद्योग निगम केवल एक उपक्रम नहीं, बल्कि लाखों कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों के सपनों का मंच है. विधायक भगवान दास सबनानी ने भी ई- रिक्शा का उपयोग शुरू कर दिया है. मंगलवार को वे भी सत्येन्द्र भूषण सिंह के पदभार ग्रहण समारोह में ई- रिक्शा से ही पहुंचे.

प्रद्युम्न सिंह स्कूटी में बैठकर पहुंचे मंत्रालय

इधर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहले मंत्री बन गए हैं, जिन्होंने पीएम मोदी की अपील पर तत्काल अमल करना शुरू कर दिया है. वे मंगलवार को इलेक्ट्रिक स्कूटी में बैठकर मंत्रालय पहुंचे. वे पीछे की सीट पर बैठे थे. साथ ही हेलमेटी भी पहन रखा था. ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि वह प्रधानमंत्री की अपील का स्वागत करते हैं और उनकी अपील का अनुसरण करते हुए इसका पालन कर रहे हैं. उनका कहना है कि वह सभी से अपील करेंगे कि वह भी पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें और अत्याधिक आवश्यकता होने पर ही डीजल-पेट्रोल वाहनों का उपयोग करें. तोमर ने कहा कि इससे विदेशों पर हमारी निर्भरता कम होगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा. उन्होंने कहा कि अपनी विधानसभा में भ्रमण के दौरान भी वह इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन का ही इस्तेमाल करेंगे.

इंदौर हाईकोर्ट में भोजशाला केस की बहस खत्म, अब फैसले का इंतजार

नव भारत न्यूज

इंदौर. भोजशाला के बहुचर्चित मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में लंबी सुनवाई के बाद अब फैसला आने की घड़ी नजदीक आ गई है. मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के साथ ही कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, ऐतिहासिक साक्ष्य और धार्मिक स्वरूप को लेकर तीखी बहस हुई, जिसके बाद अब सभी की नजरें कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं.

यह मामला वर्ष 2022 में तब शुरू हुआ था, जब रंजना अग्निहोत्री सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के माध्यम से याचिका दायर कर भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार देने की मांग की थी. इसके बाद 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वे किया. 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिनभर निर्बाध पूजा की अनुमति दी थी. 6 अप्रैल से शुरू हुई नियमित सुनवाई 12 मई को पूरी हुई. सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, विनय जोशी और याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने भोजशाला को प्राचीन सरस्वती मंदिर और विद्या केंद्र बताते हुए कई ऐतिहासिक व पुरातात्विक साक्ष्य पेश किए. एएसआई सर्वे, शिलालेख, स्तंभ, देवी सरस्वती से जुड़े प्रतीक, संस्कृत व नागरी लिपि के अभिलेख और ब्रिटिशकालीन गजेटियर का हवाला दिया. साथ ही वसंत पंचमी पर लंबे समय से पूजा परंपरा का भी उल्लेख किया. याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने स्थापत्य संबंधी तकनीकी तर्क रखते हुए कहा कि परमारकालीन ग्रंथ समरांगण सूत्रधार में बताए गए मंदिर निर्माण के मानकों से भोजशाला की संरचना मेल खाती है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि ग्रंथ में 4÷6 अनुपात का उल्लेख है, जबकि एएसआई रिपोर्ट में भोजशाला की चौड़ाई 38.41 मीटर और लंबाई 57.45 मीटर दर्ज है, जो इसी अनुपात के करीब है.

सर्वे प्रक्रिया पर आपत्तियां दर्ज कराईं

परिसर में मिले हवन कुंड और सर्पबंदी शैली के शिलालेखों को भी मंदिर स्थापत्य से जोड़ा गया है. वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट शोभा मेनन और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा, जबकि अधिवक्ता तौसिफ वारसी कोर्ट में मौजूद रहे. मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे और रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि वीडियोग्राफी और तस्वीरें स्पष्ट नहीं थीं, रंगीन फोटो उपलब्ध नहीं कराए और कार्बन डेटिंग जैसी तकनीक का उपयोग नहीं किया. साथ ही दावा किया गया कि परिसर लंबे समय से कमाल मौला मस्जिद के रूप में उपयोग में है और वर्तमान व्यवस्था सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए बनी हुई है. मुस्लिम पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है, जबकि यह याचिका हाईकोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है. सर्वे के दौरान सूचना न मिलने, गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिलने का उल्लेख रिपोर्ट में नहीं होने और सर्वे प्रक्रिया पर भी आपत्तियां दर्ज कराई गईं.

प्रशासनिक दस्तावेज पेश किए: याचिका में हिंदू समाज को नियमित पूजा का अधिकार देने, परिसर में नमाज पर रोक, केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट गठन, एएसआई के 2003 के आदेश को निरस्त करने और ब्रिटिश म्यूजियम से मां वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाने जैसी मांगें रखी गई हैं. वहीं केंद्र और राज्य सरकार के साथ एएसआई ने भी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट और प्रशासनिक दस्तावेज पेश किए.

प्रदेश में मजबूत करेंगे वीवीआईपी सुरक्षा

विशेष संवाददाता

भोपाल, 12 मई. मध्यप्रदेश में वीवीआईपी और वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में पुलिस मुख्यालय ने एक महत्वपूर्ण पहल की है.

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने मंगलवार को श्यामला हिल्स स्थित विशेष शाखा प्रशिक्षण संस्थान में चार दिवसीय 'वीवीआईपी/ वीआईपी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन कोर्स' का शुभारंभ किया. 12 मई से 15 मई तक आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और जवानों को वीवीआईपी सुरक्षा से जुड़े मानक संचालन प्रक्रियाओं, समन्वय प्रणाली, आपातकालीन प्रतिक्रिया रणनीतियों तथा आधुनिक सुरक्षा तकनीकों का उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना है.

प्रशिक्षण सत्रों में पुलिस मुख्यालय, इंटेलिजेंस विंग, मुख्यमंत्री सुरक्षा शाखा, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीडीएस), डॉग स्क्वॉड सहित विभिन्न विशेषज्ञ इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं. प्रतिभागियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस पहल से प्रदेश में विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था अधिक समन्वित, तकनीक आधारित और प्रभावी बनेगी. उद्घाटन सत्र में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (इंटेलिजेंस) ए. साई मनोहर सहित विशेष शाखा के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

उज्जैन में फर्जी और अवैध अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई

नवभारत न्यूज

उज्जैन. चंद रुपयों के लालच में फर्जी और अवैध रूप से संचालित अस्पतालों तथा क्लिनिकों पर अब प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. मंछामन कॉलोनी स्थित जनसेवा नोबेल पॉली क्लिनिक में 11 वर्षीय बालिका दिव्या सूर्यवंशी की ऑपरेशन के दौरान हुई मौत के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक पटेल ने विशेष जांच दल गठित किए हैं, जिन्होंने शहरभर में अस्पतालों और क्लिनिकों की सघन जांच शुरू कर दी है.

भाग गए अस्पताल संचालक: प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध रूप से अस्पताल चलाने वाले संचालकों में हड़कंप मच गया है. कई संचालक जांच दल के पहुंचने से पहले ही क्लिनिक बंद कर गायब हो गए, तो कुछ ने शहर से बाहर होने का बहाना बना लिया. कई अस्पतालों में डॉक्टर मौजूद नहीं मिले, जबकि कुछ स्थानों पर संचालक ही नदारद पाए गए. इससे स्पष्ट हो गया कि लंबे समय से बिना वैध डिग्री, बिना पंजीयन और नियमों की अनदेखी करते हुए अस्पतालों का संचालन किया जा रहा था.

38 अस्पताल नियम विरुद्ध संचालित: स्वास्थ्य विभाग की पांच टीमों ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर अस्पतालों और क्लिनिकों की जांच की. इस दौरान पंजीयन प्रमाणपत्र, दस्तावेजों और डॉक्टरों की डिग्रियों की पड़ताल की गई. दो दिन की कार्रवाई में रविवार को 10 और सोमवार को 28, कुल 38 अस्पताल एवं क्लिनिक बिना वैध पंजीयन या नियमों के विपरीत संचालित पाए गए.

नोटिस जारी: सभी संचालकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और तत्काल वैध पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं. निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फर्जी और अवैध अस्पतालों पर कसेगा शिकंजा-पंजीयन, डिग्री खंगाले जाएंगे

कलेक्टर ने खोला मोर्चा- उज्जैन शहर के लिए 5 जांच दल गठित

मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़

सूत्रों के अनुसार शहर में कुछ लोग मोटी कमाई के लालच में बिना योग्यता और बिना अनुमति अस्पताल चला रहे थे. ऐसे संस्थानों में मरीजों की जान जोखिम में डालकर उपचार किया जा रहा था. मासूम दिव्या सूर्यवंशी की मौत ने इस गंभीर समस्या को उजागर कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने इसे अभियान के रूप में लेते हुए लगातार कार्रवाई शुरू कर दी है.

लगातार कार्रवाई : अब स्वास्थ्य विभाग उन सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लिनिकों को चिन्हित कर रहा है जो बिना डिग्रीधारी चिकित्सकों, अपूर्ण दस्तावेजों या बिना पंजीयन के संचालित हो रहे हैं. इस अभियान के चलते फर्जीवाड़ा करने वाले कई संचालक भूमिगत हो गए हैं.

बुधवार को भी जारी रहेगा अभियान: सीएमएचओ डॉ. अशोक पटेल ने बताया कि जांच अभियान मंगलवार को भी जारी रहेगा. जो डॉक्टर और संचालक जांच से बचने के लिए क्लिनिक बंद कर भाग गए हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

आरोप ▸ केन-बेतवा परियोजना स्थल पर प्रभावित विस्थापित आदिवासी, किसान के आंदोलन का किया दौरा

आंदोलनरत आदिवासियों से मिले जीतू पटवारी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 12 मई. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को छतरपुर जिले के ढोढन बांध निर्माण स्थल पर केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित विस्थापित आदिवासी एवं किसान परिवारों के आंदोलन स्थल का दौरा किया.

इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर प्रभावित परिवारों के अधिकारों की अनदेखी करने और लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का आरोप लगाया. भारी पुलिस बंदोबस्त और प्रशासनिक रोक-टोक के बावजूद पटवारी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ आंदोलनरत परिवारों तक पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनीं. बताया गया कि प्रशासन ने वन क्षेत्र में प्रवेश रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी. वन विभाग के अधिकारियों ने यह तर्क दिया कि उनके दौरे से क्षेत्र के वन्यजीव प्रभावित हो सकते हैं.

प्रशासन के इस रवैये पर सवाल उठाते हुए पटवारी ने कहा कि जहां एक ओर परियोजना स्थल पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य, भारी मशीनों का संचालन और सैकड़ों मजदूर लगातार काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेताओं को पीड़ित आदिवासी परिवारों से मिलने से रोकना पूरी तरह अलोकतांत्रिक और तानाशाहीपूर्ण कदम है. उन्होंने आंदोलन को केवल जमीन का मुद्दा न बताते हुए जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और सम्मान की लड़ाई करार दिया. पटवारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को न्याय, उचित मुआवजा और सम्मानजनक पुनर्वास दिलाने में विफल रही है. उन्होंने कहा कि संविधान और प्राकृतिक न्याय की भावना के अनुसार जिन परिवारों की जमीन और जंगल छीने जा रहे हैं.

> पटवारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के निर्देश पर उनकी यात्रा रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया. उन्होंने प्रशासन के उस तर्क की भी आलोचना की जिसमें कहा गया था कि उनके दौरे से बाघ, तेंदुए और हाथी प्रभावित हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदिवासियों, किसानों और विस्थापित परिवारों के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्पलेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60